रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215363
CG-DL-E-13012020-215363

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 146] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का. आ. 156(अ.).—यतः, मै. हाईलेंड वैली कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड ने तमिल नाडु राज्य में, 371/2 कदियाम पेरुमपाथु गांव में, पेट्रोल बंक के पास, मथापुरम, अम्बासमुद्रम तालुक के तिरुनेलवेली जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आई.टी/आई.टी.ई.एस.) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 27.425 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था। तत्पश्चात्, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3720(अ) दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 द्वारा 1.965 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. हाईलेंड वैली कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड ने अब 2.60 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 07.01.2020 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **2.60 हेक्टेयर** के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः **कुल क्षेत्रफल 31.99 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	कदियाम पेरुमपाथु-2 गांव, अम्बासमुद्रम तालुक	365/1ए	0.595
2.		365/2ए	0.135
3.		365/2बी	0.075
4.		365/2सी	0.080
5.		365/2डी	0.015
6.		365/2ई	0.100
7.		365/2एफ	0.105
8.		365/2जी	0.185
9.		365/3	0.650
10.		365/4ए1 भाग	0.260
11.		365/4ए3 भाग	
12.		365/4ए5 भाग	
13.		365/4ए2	0.14
14.		365/4ए4	0.070
15.		365/4ए6	0.070
16.		365/4ए7	0.040
17.		365/4बी	0.080
कुल			**2.60**
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**31.99**

[फा.सं. एफ. 1/5/2018–एसईजेड]
बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 156(E).—Whereas, M/s. Highland Valley Corporation Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at 371/2, Kadayam Perumpathu Village, Near Petrol Bunk, Mathapuram, Ambasamudram Taluk, Tirunelveli District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 27.425

hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O.123(E) dated 27th February, 2019. Subsequently, an additional area of 1.965 hectares was notified vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3720(E) dated 11th October, 2019;

AND, WHEREAS, M/s. Highland Valley Corporation Private Limited has now proposed to include additional area of 2.60 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 07.01.2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 2.60 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, **thereby making the total area of the Special Economic Zone as 31.99 hectares**, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely:—

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S. N.	Name of Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Kadayam Perumpathu-2 Village, Ambasamudram Taluk	365/1A	0.595
2.		365/2A	0.135
3.		365/2B	0.075
4.		365/2C	0.080
5.		365/2D	0.015
6.		365/2E	0.100
7.		365/2F	0.105
8.		365/2G	0.185
9.		365/3	0.650
10.		365/4A1 pt.	0.260
11.		365/4A3 pt.	
12.		365/4A5 pt.	
13.		365/4A2	0.14
14.		365/4A4	0.070
15.		365/4A6	0.070
16.		365/4A7	0.040
17.		365/4B	0.080
Total			**2.60**
Grand total area of SEZ after above addition			**31.99**

[F. No. F. 1/5/2018-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.13 16:23:43 +05'30'